

मिर्जाप  
17.01.2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
सरजीत आदि बनाम दलीपकुमार आदि  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 28 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15.01.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 24.01.2025 को पेश हो। म	
16.01.2025	वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिलाव पेसी पेश करने पर प्रभावकी को पेसी में लिखा गया। मुकुल परदिनेन उपखण्ड अधिकारी (वकील व प्रवकील) ने दालिल अर्थात् आकर राजीनामा पेसा डिफा डिसे क्व तस्वीर शामिल फासिल भिजा गया प्रभावकी कोस्टे स्टेट जजस इन्दिना तारीक 17.1.2025 को पेसा हो। म	सरजीत मोहनलाल
17.01.2025	मुकुल परदिनेन उपखण्ड अधिकारी स्टेट जजस पर दाम कडस सुनी गरी। प्रभावकी का अवलोकन डिफागण प्रभावकी पर उपलब्ध रिपोर्ट आई व वादी प्रवकील के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिही डिफा जाहा है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखमा जाकर शामिल फासिल डिफा जाये। प्रभावकी नम्बर से जम ही जाकर वाद तस्वीर तस्वीर जाया दालिल फासिल हो। म	दलीप कुमार पत्रावली

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 28/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. सरजीत पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी चक 2 एन.डब्ल्यू.डी. रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र दलीप कुमार जाति जाट निवासी चक 2 एन.डब्ल्यू.डी. रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी चक 2 एन.डब्ल्यू.डी. रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अर्जनलाल वर्मा वकील—वादीगण

श्री मदनलाल वर्मा प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक— 17-01-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि वादीगण को ब हिस्सा बराबर चक 2 एन.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर के प.न. 234/52(34) के किला न. 9 ता 12, 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.2530 है0कमाण्ड कुल 2.0240 है0कमाण्ड, प.न. 234/53(45) के किला न. 1 की 0.2530 है0कमाण्ड कुल दोनो पत्थरों की 2.2770 है0 कमाण्ड व इसी चक के प.न. 234/52(34) के किला 1 की 0.2530 है0 अनकमाण्ड के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17-01-2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर